

बिहार सरकार  
सहकारिता विभाग

पत्रांक— ..... / पटना, दिनांक— .....  
03 / नि. प्रशि.(प्रशिक्षण राशि आकलन)—27 / 2024 (2)

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.),  
बिहार, पटना।

विषय :- सहकारिता विभाग के अंतर्गत 272 मुख्य/वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों का विभिन्न अवधियों में 01 सप्ताहिक आवासीय प्रशिक्षण वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पूणे, महाराष्ट्र में कराये जाने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना मद से प्रशिक्षण शुल्क के साथ 18 प्रतिशत GST को सम्मिलित करने के फलस्वरूप अतिरिक्त GST राशि रू0 6,28,800/- (छ: लाख अठाईस हजार आठ सौ) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-146 दिनांक-06.06.2025 द्वारा विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों को अनिवार्य प्रवेशकालीन/सांस्थिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रदान किये जाने वाले अन्य सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना मद से प्रशिक्षण शुल्क के रूप में कुल अनुमानित 3,99,48,939/- (तीन करोड़ निन्यानवे लाख अड़तालीस हजार नौ सौ उनचालीस) रू0 मात्र के निकासी एवं व्ययन की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके अन्तर्गत वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पूणे, महाराष्ट्र में 10 बैचों में प्रति बैच 30 की संख्या के अनुसार 300 सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु स्वीकृत्यादेश की तालिका-(E) में 90,00,000/- (नब्बे लाख) रू0 भी सम्मिलित थी।

वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पूणे, महाराष्ट्र के पत्रांक-0816 दिनांक-23.07.2025 द्वारा प्रशिक्षण शुल्क की राशि में अतिरिक्त 18 प्रतिशत GST का भुगतान करने संबंधी अनुरोध के आलोक में विभाग के अंतर्गत 272 मुख्य/वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों का विभिन्न अवधियों में 01 सप्ताहिक आवासीय प्रशिक्षण वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पूणे, महाराष्ट्र में कराये जाने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना मद से प्रशिक्षण शुल्क के साथ अतिरिक्त 18 प्रतिशत GST सम्मिलित करने के फलस्वरूप अतिरिक्त GST राशि रू0 6,28,800/- (छ: लाख अठाईस हजार आठ सौ) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत मांग संख्या-09, मुख्य शीर्ष-2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-003 प्रशिक्षण, उप शीर्ष-0102 विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान विस्तृत शीर्ष-20, अन्य प्रशासनिक व्यय विषय शीर्ष-03 प्रशिक्षण व्यय विपत्र कोड-09-2425000030102 राज्य योजना से विकलनीय होगी।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पूणे, महाराष्ट्र से प्राप्त विपत्र के विरुद्ध स्वीकृत राशि का विपत्र BTC FORM-25 में तैयार कर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में प्रस्तुत करेंगे और राशि की निकासी कर Saraswat Coop Bank Ltd., Name of A/C Holder-Director Vaikunth Mehta NAT INST of Coop MGMT, A/C No.-110200100001763, IFSC CODE-SRCB0000110 में स्थानांतरित करेंगे। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

